HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/2871

Jabalpur, dated 07.7.2017

The copy of the Notification of the Government of M.P. F.No. 1/5/96/21-B(one)2668/2017, Bhopal, dated 05.7.2017 as per the provisions of Section 3 (1) of the Prevention of Corruption Act, 1988 forwarded to;

- 1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
- 2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
- 3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
- 4. The District and Sessions Judge, Bhopal for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also.
- 5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information.

6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

(Vivek Saxena) O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक <u>5 / 7 / 2017</u>

फा.क. 1/5/96/21—ब(एक) 2668/2017. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम. 1988 (1988 का 49) की धारा 3 द्वारा प्रवत्त शक्तिओं को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश को, उसके कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित, स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (क. 25 सन् 1946) के अधीन अन्वेषण किये गये उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करता है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)
"1.	श्री श्याम चरण उपाध्याय, नवम् अतिरिक्त	भौपाल.''
	सेशन न्यायाधीश, भोपाल	

2. यह अधिसूचना व्यापम गामलों के संबंध में एतद् पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त जारी की जा रही है।

NOTIFICATION

F.N.1/5/96/XXI-B(one)/2668/2017. In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act. 1988 (No. 49 of 1988) the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the table below to Special Judge for area specified in the corresponding entry in column (3) thereof to try the cases relating to the offences specified under section 3(1) of the said Act in relation to various examinations conducted by the Madhy Pradesh Professional Examination Board, investigated by the Special Task Force, Bhopal, Delhi Police and Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), namely:-

TABLE

	S.No.	Name of Judge Head Quarter (3)	
ļ	(1)	(2) Shai Shyama Charan Unadhyay, IXih Additional Bhopal."	
		Shri Shyama Charan Upadhyay, IX th Additional Bhopal." Sessions Judge, Bhopal	

This Notification is being issued in addition to the earlier Notifications 2. issued in respect of VYAPAM matters.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ू (ए.एम.सक्सेना) प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 /7 / 2017. पू.फा.क्रमांक 1/5/96/21-व(एक) 2668/2017. प्रतिलिपि:-

रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायाल जवलपुर, के पत्र कमांक सी / 2486. दिनांक 08.06.2017 के संदर्भ में,

पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भोपाल,

उप नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, गोपाल (म.प. राजपत्र भाग-1 के (2) (3) आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेपित ।

केवल मुद्रणालय के लियं।

शाखा प्रभारी, आयंटी शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, (4) की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने वावत् प्रेषित।

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग